



श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

मोहम्मद जमा खान
माननीय मंत्री, अ.क.वि., बिहार

मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना मार्गनिर्देशिका



बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का उपक्रम

34-हार्डिंग रोड, पटना - 800 001



बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु

मार्गनिर्देशिका

1. **उद्देश्य :** यह योजना वर्ष 2008-09 से स्वीकृत है परन्तु इसके कार्यान्वयन में आई कठिनाईयों को देखते हुए इसके सफल कार्यान्वयन हेतु एक मार्गनिर्देशिका तैयार किया गया है, जिसे “मार्ग निर्देशिका-2012” के नाम से जाना जाएगा। इस योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के 18 से 45 वर्ष के आयु की महिला एवं पुरुषों को रोजगार पाने हेतु प्रशिक्षण दिलाकर नियोजन प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना अथवा बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, पटना के माध्यम से “मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना” के अन्तर्गत ऋण दिलाकर स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना है। यह प्रशिक्षण अवधि 2 वर्ष तक की होगी।

2. योजना की मुख्य विशेषताएँ :-

- 2.1 अल्पसंख्यक समुदाय की महिला एवं पुरुषों को प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें स्वरोजगार एवं नियोजन का अवसर प्रदान करना।
- 2.2 प्रशिक्षण के उपरान्त स्वरोजगार के लिए साधारण व्याज दर पर आसानी से ऋण उपलब्ध कराना।
- 2.3 प्रशिक्षण एवं वित्त पोषण की योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के द्वारा किया जाएगा।
3. प्रशिक्षण के लिए चयनित व्यवसायिक पाठ्यक्रम :-
- 3.1 वैसे व्यवसायिक पाठ्यक्रम जो किसी सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी संस्थान जैसे NIOS/SIOS/AICTE/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित हो या उनसे

मान्यता प्राप्त हो एवं उनके व्यवसायिक क्षेत्रों में नियोजन की स्थानीय मांग या व्यवसाय चलाने की संभावनाएँ हों।

4. प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा :-

- 4.1 प्रशिक्षण जिला मुख्यालय में चयनित संस्था के माध्यम से उनके द्वारा चयनित/निर्धारित स्थल पर संचालित किया जायेगा।
- 4.2 संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों को पाठ्य सामग्री एवं टूल-किट निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।
- 4.3 प्रशिक्षणार्थियों को रहने एवं खाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। परन्तु राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था जिनमें पूर्व से आवासीय व्यवस्था उपलब्ध है, ऐसे संस्था के प्रशिक्षणार्थियों के घोजन एवं अवासन के लिए उन संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान इस योजना की निधि से अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के द्वारा सीधे संस्थान को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 4.4 यदि प्रशिक्षण स्थल पर आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं है तो वैसी स्थिति में प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को 1500/- रुपये प्रतिमाह की दर से बजीफा का भुगतान प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से किया जायेगा।
- 4.5 सफलतापूर्वक प्रशिक्षण के उपरान्त चयनित संस्था के द्वारा प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

5. प्रशिक्षुओं का चयन

- 5.1 अल्पसंख्यक समुदाय के वैसे महिला एवं पुरुष जो 18 से 45 वर्ष के हों तथा जिनकी वर्षिक आय 4.50 लाख रुपये से अधिक न हो, का चयन प्रशिक्षण के लिए किया जायेगा।
- 5.2 विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए न्यूनतम योग्यता एवं उम्र का निर्धारण सम्बन्धित पाठ्यक्रम को ध्यान में रख कर बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम द्वारा किया जायेगा।
- 5.3 प्रशिक्षुओं का चयन विज्ञापन निकाल कर शैक्षणिक योग्यता, आय एवं आयु के आधार पर जिला स्तरीय कमिटी द्वारा किया जायेगा।

5.4 जिला स्तरीय समिति आवेदकों के आय के आधार पर मेंशा सूची तैयार करेगी, जिसके आधार पर प्रशिक्षुओं का चयन किया जायेगा।

5.5 योजना में प्रशिक्षणार्थी के रूप में महिलाओं के लिए निर्धारित 30 प्रतिशत एवं निःशक्तों के लिए निर्धारित 3 प्रतिशत स्थान प्राथमिकता के तौर पर भरने का प्रयास किया जायेगा। इसके बावजूद इनकी अनुपलब्धता की स्थिति में अन्य अल्पसंख्यक कोटि के प्रशिक्षणार्थीयों का चयन किया जायेगा।

6. क्रियान्वयन की प्रक्रिया :-

6.1 योजना से लाभान्वित करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों के द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र समर्पित किया जाएगा।

6.2 आवेदन पत्र सम्बन्धित जिला के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी या जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किए जायेंगे।

6.3 आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न की जाएँगी।

1. शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र (जहाँ आवश्यक है)
2. फोटो पहचान पत्र/UID/आवासीय प्रमाण पत्र
3. पासपोर्ट आकार के 4 फोटो
4. आय प्रमाण पत्र

6.4 प्रशिक्षुओं का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे।

- | | |
|---|---------|
| 1. उप विकास आयुक्त | अध्यक्ष |
| 2. जिला उद्योग केन्द्र के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 3. प्रशिक्षण देने वाली संस्था के एक प्रतिनिधि | सदस्य |

4. प्रबन्ध निदेशक, अल्पसंख्यक वित्तीय निगम
द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी सदस्य
5. जिला कल्याण पदाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी सदस्य-नियोजक

परन्तु जिन सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थानों में चयन की अलग प्रक्रिया निर्धारित है, उनमें आयोजित किये जाने वाले पाद्यक्रमों के लिए चयन हेतु उसी निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, इस शर्त के साथ कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण/जिला कल्याण पदाधिकारी भी इस चयन प्रक्रिया में सम्मिलित रहेंगे।

- 6.5 जिला स्तरीय समिति द्वारा चयन किये गये प्रशिक्षुओं की सूची की एक प्रति बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लि. पटना एवं एक सूची सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

7. प्रशिक्षण शुल्क

- 7.1 सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थानों के मामलों में वही प्रशिक्षण शुल्क संस्थान को निगम से देय होगा जो ऐसे संस्थानों के द्वारा निर्धारित है।
- 7.2 गैर सरकारी संस्थान/ट्रस्ट/कम्पनी के मामले में Competitive bid के आधार पर प्रशिक्षण शुल्क निर्धारित किया जाएगा।

8. प्रशिक्षण संस्था के चयन के लिए पात्रता की शर्तें :-

कोई भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था, सोसाइटी, ट्रस्ट, कम्पनी, जो निम्नांकित योग्यता रखती हो, को प्रशिक्षण एजेन्सी के रूप में चयन किया जा सकेगा :-

- 8.1 केन्द्र/राज्य सरकार की संस्था / ग्रामीण विकास स्वरोजगार प्रशिक्षण (Rural Development Self implementation Taining Institute) / विश्वविद्यालय / प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्था इत्यादि।
- 8.2 गैर सरकारी संस्था ट्रस्ट, कम्पनी, जो किसी सरकारी संस्थान / विश्वविद्यालय SIOS/NIOS/NCVT/AICTE से सम्बद्धता/ मान्यता प्राप्त हो, जिनका पिछले

3 वर्षों के शिक्षण/प्रशिक्षण में कम से कम 10.00 लाख रुपये प्रति वर्ष टर्न ओभर रहा हो।

- 8.3 गैर सरकारी संस्था / सोसाइटी / स्टॉट / कम्पनी का प्रशिक्षण एजेन्सी के रूप में चयन बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम द्वारा विहित प्रक्रिया से किया जाएगा। सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थानों को प्रशिक्षण एजेन्सी के रूप में चयन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किया जायेगा।

9. प्रशिक्षण एजेन्सियों की जिम्मेदारियाँ :-

- 9.1 प्रशिक्षण एजेन्सियों को प्रशिक्षण देने के लिए वे सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराना होगी, जो प्रशिक्षण के लिए आवश्यक हो।
- 9.2 मोनिटरिंग / मूल्यांकन एजेन्सी एवं विधायी तथा जिला के अधिकारी के साथ चूर्ण सहयोग करना होगा। प्रशिक्षणार्थियों का मूल्यांकन प्रतिवेदन बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को उपलब्ध कराना होगा।
- 9.3 प्रशिक्षण स्वीकृत पाठ्यक्रम के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. निरीक्षण :-

- 10.1 निरीक्षण जिला कल्याण पदाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के अतिरिक्त किसी भी ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संस्था / विश्वविद्यालय / संस्थान / अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा चयनित मोनिटर द्वारा कराया जा सकेगा।
- 10.2 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग / बिहार स्टेट माईनोरिटीज फाईनेन्सियल कॉर्पोरेशन लि./जिला पदाधिकारी उनके द्वारा नामित पदाधिकारी या NIOS/SIOS के अपने पदाधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण करा सकेगा।

11. निरीक्षण संस्था का कार्य एवं दायित्व

11.1 निरीक्षण संस्था द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में कम से कम 2 बार निरीक्षण कराया जायेगा एवं विहित प्रपत्र में विभाग एवं निगम को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा।

11.2 प्रथम निरीक्षण प्रशिक्षण प्रारंभ होने के एक पक्ष के अन्दर किया जायेगा।

1. दूसरा निरीक्षण सत्र अवधि के मध्य में किया जायेगा।

2. तीसरा निरीक्षण सत्र समाप्ति के बाद किया जायेगा।

3. प्रति निरीक्षण की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी निरीक्षण के एक सप्ताह के अन्दर विहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम को उपलब्ध कराया जायेगा।

11.3 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किसी भी संस्था के प्रशिक्षण सत्र के बीच में उपरोक्त तीनों निरीक्षण के अतिरिक्त भी निरीक्षण कराया जा सकता है।

11.4 निरीक्षण एवं अनुश्रवण तथा निगम के स्तर पर प्रशासनिक व्यय के वहन हेतु योजना की 6 प्रतिशत तक की राशि का व्यय किया जा सकेगा।

11.5 निरीक्षण हेतु वाह्य ऐजेंसी / मोनीटर के शुल्क/मानदेय का निर्धारण अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा।

12. विहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के कर्तव्य एवं दायित्व :-

12.1 विहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम प्रशिक्षण ऐजेंसी एवं निरीक्षण ऐजेंसी का चयन करेगी तथा उनके कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करेगी।

12.2 प्रशिक्षण संस्था एवं निरीक्षण ऐजेंसी का चयन विज्ञापन के आधार पर विहित प्रक्रिया अपना कर करेगा तथा उस पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की स्वीकृति प्राप्त करेगा।

12.3 विभाग से स्वीकृति प्राप्त संस्था के साथ MOU करेगा एवं कार्य आदेश निर्गत करेगा।

- 12.4 प्रशिक्षण के सम्बन्ध में सभी सूचना एकत्र कर डाटा-बैंक तैयार करेगा।
- 12.5 सभी प्रशिक्षण संस्था एवं निरीक्षण एजेंसी को समय-समय उन्हें अनुमान्य निधि उपलब्ध करायेगा।
- 12.6 निरीक्षण एजेंसी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आवश्यकतानुसार उचित कार्रवाई करेगा।
- 12.7 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को समय-समय पर प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध करायेगा।
- 12.8. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा माँगी गई सूचनाएँ एवं प्रतिवेदन उपलब्ध करायेगा।
- 12.9 प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को आवश्यकता अनुसार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना अथवा टर्म लोन योजना के अन्तर्गत स्व. रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध करायेगा।

13. वित्तीय संरचना :-

13. गैर सरकारी संस्थान / सोसायटी / ट्रस्ट / कम्पनी के प्रशिक्षण एजेंसी के रूप में चयन के उपरान्त उन्हें उनके द्वारा उक्त कोर्स फीस की राशि की 20% राशि का बैंक गारंटी/ Pledged पोस्ट ऑफिस सावधि जमा/Pledged एन.एस. के रूप में जमा करना होगा। बैंक गारंटी/Pledged विहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के पक्ष में किया जायेगा।
- 13.2 उपर्युक्त बैंक गारंटी / Pledged पोस्ट ऑफिस यास बुक / Pledged NSC जमा करने के पश्चात् प्रशिक्षण एजेंसी के साथ विहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम एक MOU हस्ताक्षरित करेगा। MOU के पश्चात् प्रशिक्षण एजेंसी के रूप में चयनित गैर सरकारी संस्थान को Mobilisation शुल्क के रूप में उक्त कोर्स फीस की राशि की 20% राशि विहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम द्वारा विमुक्त की जाएगी।

13.3 निरीक्षण ऐजेंसी का द्वितीय प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद कोर्स फीस के रूप में उक्त राशि का 50% तथा शेष 30% सत्र समाप्ति के पश्चात् तथा निरीक्षण ऐजेंसी के अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विमुक्त किया जाएगा।

13.4 सरकारी/अद्वे सरकारी संस्थान को बैंक गारंटी/अन्य गारंटी की बाध्यता नहीं होगी और उनके द्वारा MOU करने पर कोर्स फीस की पूर्ण राशि अधिक के रूप में विमुक्त कर दी जाएगी।

13.5 योजना की कुल राशि की 6% राशि बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम को अनुश्रवण एवं प्रशासनिक व्यय के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।



13.2 مندرجہ بالا پینک گارنی Pledged ڈاکٹانہ فرم جن MOU اسی جمع

کرنے بعد ایجنسی کے ساتھ اقیتی مالیاتی کارپوریشن MOU دھوکرے گا۔ MOU کے بعد ٹریننگ ایجنسی کی ٹکل میں منتخب نیم سرکاری ادارہ کو Mobilisation فیس کی ٹکل میں مختلف کورس فیس کی رقم کی 20 نصف رقم بھاریاتی اقیتی مالیاتی کارپوریشن کے ذریعہ جاری کی جائے گی۔

13.3 ٹریننگ ایجنسی کی دو رقم رپورٹ حاصل ہونے کے بعد کورس فیس کی ٹکل میں مختلف رقم کا 50 نصف اور باقیہ 30 نصف سیشن کے خاتمہ کے بعد اور جامع ایجنسی کے فائل رپورٹ حاصل ہونے پر جاری کیا جائے گا۔

13.4 سرکاری ائم سرکاری ادارہ کو پینک گارنی / دمگ گارنی کی لازمیت نہیں ہوگی اور ان کے ذریعہ MOU کرنے پر کورس فیس کی پوری رقم ایڈ و اس کی ٹکل میں جاری کروی جائے گی۔

13.5 منصوبہ کی کل رقم کی 6 نصف رقم بھاریاتی اقیتی مالیاتی کارپوریشن کو مشاہدہ و انتظامی خرچ کے طور پر دستیاب کرایا جائے گا۔



کیا جائے گا۔

- 12 بہاری اسی اقیتی مالیاتی کارپوریشن کے فرائض و مداری:
- 12.1 بہاری اسی اقیتی مالیاتی کارپوریشن ٹرینگ ایجنسی جانی ایجنسی کا انتخاب کرے گی اور ان کے کاموں کا مشاہدہ و تجزیہ کرے گی۔
 - 12.2 ٹرینگ ادارہ جانی ایجنسی کا انتخاب اشتہاراہال کر تھیں عمل اپنا کر کیا جائے گا اور اس پر محکم اقیتی فلاں کی مخصوصی حاصل کی جائے گی۔
 - 12.3 محکم کے مخصوص شدہ ادارہ کے ساتھ MOU کرے گا اور کام کا حکم نامہ جاری کرے گا۔
 - 12.4 ٹرینگ سے متعلق سبی جانکاری کو جمع کرو ڈائینک چار کرے گا۔
 - 12.5 سبی ٹریننگ سینز و تھیں جانی ایجنسی کو وقت دقت پر انہیں ملئے رقم دستیاب کرائے گا۔
 - 12.6 جانی ایجنسی سے حاصل رپورٹ کے بنیاد پر ضرورت پڑنے پر مناسب کارروائی کرے گا
 - 12.7 محکم اقیتی فلاں کو وقت دقت پر پوری طور پر ضرورت دستیاب کرائے گا
 - 12.8 محکم اقیتی فلاں کے ذریعہ مانگی گئی جانکاری اور رپورٹ دستیاب کرائے گا۔
 - 12.9 ٹرینڈ افراد کو ضرورت کے مطابق وزیر اعلیٰ اقیتی روزگار قرض منصوبہ اور ہم اون منصوبہ کے تحت خود روزگار کے لئے قرض دستیاب کرائے گا۔

13. مالیاتی (حاجی):

- 13.1 غیر مرکاری ادارہ / اسوسیئن / ایس ایس کی ٹرینگ ایجنسی کی ٹھیکانے کی ٹھیکانے کی ٹھیکانے کے بعد انہیں ان کے ذریعہ متعلق کورس فیس کی 20 فیصد رقم کا پینک گارنی / Pledged ہمارے رقم جمع این ایس کی ٹھیکانے میں جمع کرنا ہو گا۔ پینک گارنی Pledged بہاری اقیتی مالیاتی کارپوریشن کے حق میں کیا جائے گا۔

9.3 ٹرینگ منظور شدہ نسب کے مطابق بھی بنایا جائے گا۔

10. جانچ:

10.1 جانچ ضلع فلاں آفیسر/ضلع اقیتی آفیسر کے علاوہ کسی بھی صروف غیر سرکاری ادارہ/بوجوہری ادارہ/محل اقیتی فلاں کے ذریعہ منتخب موئیز کے ذریعہ کرائی جائے گی۔

10.2 م محل اقیتی فلاں /بھار ریاستی اقیتی مالیاتی کار پوریشن لینڈہ/ضلع آفیسر ان کے ذریعہ نامزد آفیسر یا NIOS/SIOS کے اپنے آفسرز کے توسط سے جانچ کرائے گا۔

11. بانچ ادارہ کا کام اور فرائض:

11.1 جانچ ادارہ کے ذریعہ ہر ٹرینگ سیشن میں کم سے کم دو فونج جانچ کرایا جائے گا و مختلط پر فور میں محلہ کار پوریشن کو روپرست دستیاب کرائی جائے گی۔

11.2 اول جانچ ٹرینگ کے آغاز ہونے کے ایک کم و ناوارہ کے اندر کی جائے گی۔

1. دوئم جانچ سیشن کے میعاد کے 8 میں کی جائے گی۔

2. سوم جانچ میعاد کے ٹھم ہونے کے بعد کیا جائے گا۔

3. ہر جانچ کی پارہ و سافٹ کالبی جانچ کے ایک بند کے اندر بھار ریاستی اقیتی مالیاتی کار پوریشن کو دستیاب کرائی جائے گی۔

11.3 م محل اقیتی فلاں کے ذریعہ بھی ادارہ کے ٹرینگ سیشن کے درمیان میں مندرج بالاتجھوں جانچ کے علاوہ بھی جانچ کرائی جاسکتی ہے۔

11.4 جانچ بھرائی اور کار پوریشن کے سلسلہ پاریلے نظریہ خرچ کی محیل کے لئے منصوب کی چہ نہ صد بھکر کی رقم کو خرچ کیا جائے گا۔

11.5 جانچ کے لئے باہری اسکنی/موئیز کی فس اچن الحت کا حصہ میں محلہ اقیتی فلاں کے ذریعہ

کا تحسین کیا جائے گا۔

8. فریلنک ادارہ کے انتخاب کے لئے امیت کی شرائط:

کوئی بھی سرکاری و غیر سرکاری ادارہ، سوسائٹی، فرست، سکپٹنی، جو مندرجہ ذیل امیت رکھتی ہو کو فریلنک ایجنسی کی ملک میں انتخاب کیا جائے گا۔

8.1 مرکزی / ریاستی حکومت کے ادارہ / دیسی ترقیاتی خودروزگار فریلنک (Rural Development self implementation Training Institute)

ابو نیجریہ ای ای ای فریلنک ادارہ وغیرہ۔

8.2 غیر سرکاری ادارہ فرست، سکپٹنی، جو کسی سرکاری ادارہ یونیورسٹی / SIOS، NIOS

NCVT/AICTE سے متعلق / منظور شدہ ہو۔ جن کا مچھلے تین سالوں میں قطبی / اریلنک

میں کم سے کم 10.00 لاکھ روپے سالانہ کا فرمان اور رہا ہو۔

8.3 غیر سرکاری ادارہ / سوسائٹی / ارٹسٹ ایجنسی کا فریلنک ایجنسی کی ملک میں انتخاب بھار ریاستی اقلیتی ماہیاتی کارپوریشن کے ذریعہ ملعٹے شہر میں سے کیا جائے گا۔ سرکاری / شہر کاری اداروں کو فریلنک ایجنسی کے طور پر محدود اقلیتی فلاح کے ذریعہ منتخب کیا جائے گا۔

9. فریلنک ایجنسیوں کی ذمہ داریاں:

9.1 فریلنک ایجنسیوں کو فریلنک دینے کے لئے وہ بھی سہولیات فراہم کرانی ہوں گی، جو فریلنک کے لئے ضروری ہو۔

9.2 موئیزٹر گک ای یا لویشن ایجنسی و ملک جاتی اور علاج کے افسر کے ساتھ کمل تعاون کرنا ہوگا۔ فریلنک حاصل کرنے والوں کی جانشی رپورٹ بھار ریاستی اقلیتی ماہیاتی کارپوریشن و محدود اقلیتی فلاح کو مستیاب کرنا ہوگا۔

4 امنی کی نہ

6.4 ٹریننگ حاصل کرنے والوں کا انتخاب ضلع سطحی کمپنی کے ذریعہ کیا جائے گا جس میں مندرجہ زیل ارکان ہوں گے۔

1. ڈپلاؤپنٹ کشٹر صدر

2. ضلع صنعت مرکز کے نمائندہ صدر

3. رینٹنگ دینے والے اورہ کے ایک نمائندہ صدر

4. سچی ڈائریکٹر، اقتصادی مالیاتی کار پورشن صدر

5. ضلع فلاں آفیسر/ ضلع اقتصادی فلاں آفیسر صدر، بھال نائب صدر

لیکن جن سرکاری نیم سرکاری اداروں میں انتخاب عمل اگر متین ہے ان میں انتخاب کے جانے والے انساب کے لئے انتخاب کے واسطے اسی متین عمل کا مشاہدہ کیا جائے گا اس شرط کے ساتھ کہ ضلع اقتصادی فلاں آفیسر/ ضلع فلاں آفیسر بھی اس انتخابی میں شامل رہے گے۔

6.5 ضلع سطحی کمپنی کے ذریعہ ٹریننگ کے لئے منتخب افراد کی فہرست کی ایک کالی بھار ریاستی اقتصادی مالیاتی کار پورشن نیڈیہ، پنڈ ایک فہرست مختلط ٹریننگ ادارہ کو دستیاب کرائی جائے گی۔

7 ٹریننگ نیمس

7.1 سرکاری ایم سرکاری اداروں کے معاہدوں میں وہی ٹریننگ نیمس ادارہ کو کار پورشن سے ادا کی جائے گی جو ایسے اداروں کے لئے متین کی گئی ہے۔

7.2 نیم سرکاری/ اڑست اکمپنی کے معاملے میں Competitive bid کے طور پر ٹریننگ نیمس

میں رکھ کر بہادر یا سی اقیتی مالیاتی کار پوریشن کے ذریعہ کیا جائے گا۔

5.3 فریٹک حاصل کرنے والوں کا انتخاب اشتہار نکال کر تعلیمی صلاحیت، آمدی و عمر کے مطابق

ضلع سلطی کمیٹی کے ذریعہ کیا جائے گا۔

5.4 ضلع سلطی کمیٹی امیدواروں کی آمدی کے مطابق میراث است تیار کرے گی جن کے مطابق

فریٹک حاصل کرنے والوں کو منتخب کیا جائے گا۔

5.5 منصوبہ میں فریٹک حاصل کرنے والوں کے طور پر خواتین کے لئے متین 30 فیصد

و مخدودوں کے متین 3 فیصد مقام ترجیح کے طور پر بھرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس

کے باوجود ان کی عدم دستیابی کی حالت میں دیگر تعلیمی کوڈ کے فریٹک حاصل کرنے والوں

کو منتخب کیا جائے گا۔

6. نفاذ کا عمل:

6.1 منصوبہ سے مستفید کرنے کے لئے اخبارات میں اشتہارات شائع کر کے درخواست

طلب کی جائیں گی۔ فریٹک کے لئے امیدوار کے ذریعہ متین پر فوراً میں درخواست تجویز

کی جائے گی۔

6.2 درخواست مختلف ضلع کے ضلع انتیقی فلاں آفیسر یا ضلع فلاں آفیسر کے دفتر میں حاصل کئے

جائیں گے

6.3 درخواست کے ساتھ مندرجہ سند کی مصدقہ کا پیاس مشک کی جائیں گی۔

.1 تعلیمی صلاحیت کی سند (جہاں ضرورت ہے)

.2 ملکیت کارڈ (UID) رہائشی سند

.3 پاسپورٹ سائز کی 4 تصاویر

4. زرینگ پروگرام کے خدوخال:

4.1 زرینگ طبع صدر مقام میں منتخب ادارہ کے توسط سے ان کے ذریعہ منتخب مخصوص مقام پر چلایا جائے گا۔

4.2 اداروں کے توسط سے زرینگ حاصل کرنے والوں کو پڑھائی کا سامان دوں کث مفت میریا کرایا جائے گا

4.3 زرینگ حاصل کرنے والوں کو قیام و خدام کا انتظام خود کرنا ہوگا۔ لیکن ریاستی حکومت مرکزی حکومت سے منظور شدہ ادارہ جن میں قل سے رہائی انتظام و محتساب ہیں، ایسے ادارہ کے زرینگ حاصل کرنے والوں کو قیام و خدام کے لئے ان اداروں کے ذریعہ مخصوص فیس کی ادائیگی اس مخصوص کے لئے مختص رقم سے اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے ذریعہ براہ راست اداروں کو میریا کرایا جائے گا۔

4.4 اگر زرینگ والے مقام پر رہائی کو بیانات و محتساب نہیں ہے تو دینی حالت میں زرینگ کے دوران زرینگ حاصل کرنے والوں کو 1500 روپے فی ماہ کی شرح و قیمتی کی ادائیگی زرینگ

دینے والے اداروں کے توسط سے کی جائے گی۔

4.5 کامیابی کے ساتھ زرینگ پانے کے بعد منتخب ادارہ کے ذریعہ زرینگ حاصل کرنے والوں کو مندرجہ کیا جائے گا۔

5. زرینگ حاصل کرنے والوں کا انتخاب:

5.1 اقلیتی طبقہ کے دیے خواتین و حضرات جو 18 سے 45 سال کے ہوں اور جن کی سالانہ آمدنی لاکھ روپے سے زیادہ ہو کا انتخاب زرینگ کے لئے کیا جائے گا۔

5.2 مختلف زرینگ پروگراموں کے لئے کم سے کم صلاحیت و عمر کا تین مختلف نصاب کو دھیان

حکومت بہار

دستکش اقتداری قرار

وزیر اعلیٰ شرم حقی منصوبہ کے نفاذ کے لئے گاہلان

مفاد: یہ منصوبہ مالی سال 09-2008 سے منظور ہے۔ لیکن اس کے نفاذ میں آئی دشواریوں کو بخوبی
ہوئے اس کے موثر نفاذ کے لئے ایک گاہلان تیار کیا گیا ہے جسے گاہلان 2012 کے سامنے
جانا جائے گا۔ اس منصوبہ کے تحت اقلیتی طبقوں کے 18 سے 45 سال کی عمر کی خواتین و حضرات
کو روزگار پانے کے لئے فرینٹ دلائکر روزگار حاصل کرنے کے موقع فراہم کرنا اور بہار ریاستی
اقلیتی مالیاتی کارپوریشن پنڈ کے توسط سے ”وزیر اعلیٰ اقلیتی روزگار قرض منصوبہ“ کے تحت قرض
میبا کر رہا کہ خود روزگار کے موقع فراہم کرنا ہے اس فرینٹ کی میعاد دو سال تک ہی ہوگی۔
(2) منصوبہ کی اہم خصوصیات:

- 2.1 اقلیتی طبقہ کی خواتین و حضرات کو فرینٹ دلائکر انہیں خود روزگار دلوکری کے موقع فراہم کرنا۔
- 2.2 فرینٹ کے بعد خود روزگار کے لئے عام سود کی شرح پر آسانی سے قرض میبا کرنا۔
- 2.3 فرینٹ دماثی تعاون کے منصوبہ کا نفاذ بہار ریاستی اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے ذریعہ
کیا جائے گا۔

3 فرینٹ کے لئے منتخب کمرشل نصاب:

- 3.1 دیسے کمرشل نصاب جسکی سرکاری و شم سرکاری ادارے میں AICTE
ریاستی حکومت، یونیورسٹی کے زیر گمراہ ہو یا ان سے منظور شدہ ہو اور ان کے
کمرشل طبقوں کی مقامی ماہنگ یا تجارت چلانے کے امکانات ہوں۔